न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 39/2013 प्रार्थना पत्र 14(4)

आम जनता ग्राम पट्टीचिमनपुरा एवं ग्राम श्रीगोविन्दपुरा ग्राम पंचायत तलावगॉव तहसील लालसोट जिला दौसा

1. मीठा लाल पुत्र मूलचन्द
2. रामधन पुत्र रामफूल
3. पूनीराम पुत्र जीवणराम
4. रामसहाय पुत्र कन्हैया लाल
5. रामसहाय पुत्र जगराम

} जाति मीना निवासी पट्टी चिमनपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा

6. रामजी लाल पुत्र गंगाराम
7. जगदीश पुत्र रंगलाल
8. शंकर पुत्र कल्याण

} जाति मीना निवासी श्री गोविन्दपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. आणन्दी लाल पुत्र मंगला
2. रामनारायण पुत्र मंगला
3. पप्पू पुत्र मंगला
4. शंकर पुत्र मंगला
5. सोनी बेवा मंगला

} जाति रैगर निवासी तलावगांव तहसील लालसोट जिला दौसा

6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन रूल्स 1970

उपस्थिति : श्री हरिनारायण माठा अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री बृजमोहन गौड अधिवक्ता अप्राथी सं. 1 लगा0 5 उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांकः 11.09.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पट्टीचिमनपुरा तहसील लालसोट में स्थित गै0मु0 नले की भूमि ख.न. 7 रकबा 75 बीघा 12 बिस्वा स्थित है। जिसमे होकर नाली बहता है। उक्त नदी नाले की भूमि को तत्कालीन तहसीलदार लालसोट ने बिना विधि प्रक्रिया की पालना किए गै0मु0 नाले की भूमि में से अप्रार्थी सं. 01 लगा0 04 के पिता मंगला पुत्र जयकिशन जाति रैगर निवासी तलावगॉव तहसील लालसोट को अन्त्योदय योजना में 5 बीघा भूमि का अलाटमेंट दिनांक 23.09.1978 को गलत व अवैध तरीके से कर दिया था तथा मंगला पुत्र जयकिशन जाति रैगरन निवासी तलावगॉव तहसील लालसोट के निधन होने पर विरासत का नामान्तरकरण अप्रार्थी सं. 01 लगा0 05 के नाम हो गया। जिसके विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 पेश किया गया है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गई। बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 के पिता मंगला पुत्र जयकिशन जाति रैगर निवासी तलावगॉव तहसील लालसोट को दिनांक 23.9.78 को ग्राम पट्टीचिमनपुरा तहसील लालसोट स्थित खसरा नम्बर 7 रकबा 75 बीघा 12 बिस्वा नदी नाले की भूमि में से 5 बीघा भूमि का आवंटन तहसीलदार लालसोट द्वारा कर दिया गया। उक्त आवंटन करने का तहसीलदार लालसोट को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत कृषि भूमि का आवंटन करने के नियम सरकार द्वारा बनाये हुए हैं, अन्त्योदय योजना में किस कानून के तहत आवंटन किया गया है इसका उल्लेख नहीं है। उक्त भूमि आवंटन सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड जिला दौसा व जयपुर भी नहीं मिला है। प्रार्थी सीधे राजस्व मण्डल भी अनुतोष बाबत गया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा इस न्यायालय में आवंटन की अपील बाबत निर्देश दिये गये। प्रश्नगत भूमि गैरमुमकिन नाला है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है प्रस्तुत जमाबन्दी एवं नामान्तरण से इसकी पुष्टि होती है। गिरदावरी संवत 2036 से 2047 तक के अनुसार कभी भी प्रश्नगत भूमि पर काश्त नहीं हुई है तथा भूमि बंजड़ पडी है। 11 वर्षों तक भूमि खाली पड़ी रही फिर खातेदारी अधिकार कैसे दिये गये। मुताबिक रिपोर्ट मौका कमिश्नर जमीन वर्तमान में बंजड़ पड़ी हुई है। आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अनुसार आवंटी को हुए गलत आवंटन बाबत सू–मोटो अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा अपील करने पर यदि आवंटी द्वारा मिसरिप्रजेन्टेशन/फ्रॉड किया है तो आवंटन को निरस्त किया जा सकता है। प्रश्नगत आवंटन में किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है। जमाबन्दी में स्पष्टतः अंकित है कि खेती के अयोग्य है केवल चराई योग्य है। किस्म स्पष्टतः गै0मु0 नला लिखा है तो भूमि बरानी कैसे हुई। प्रश्नगत भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है। अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय में भी इसको वर्जित किया गया है। आवंटन दिनांक 23.9.78 में न तो विधि अनुसार खाली भूमि की सूची तैयार की गई न नियमानुसार आवंटन हेतु अधिसूचना जारी की गई और न सरकार द्वारा आवंटन हेतु कोई विधिनुसार कमेटी की बैठक आहूत की गई। कोई भी कमेटी आवंटन करती तो उसका उल्लेख नामांतरकरण पंजिका के कॉलम नं0 16 मे होता जबकि उसमें कोई हवाला नहीं है। तहसीलदार द्वारा बिना किसी अधिकार के ही उक्त आवंटन दिनांक 23.9.78 अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 के पिता के हक में कर कानूनी गलती की है। आवंटन दिनांक 23.9.78 का कोई आदेश नहीं है बल्कि जो गैर खातेदारी का नामान्तरकरण अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 के पिता के हक में दिनांक 16.11.78 को तस्दीक किया गया उसमें उक्त आवंटन दिनांक 23.9.78 को अन्त्योदय योजना के तहत आवंटन किये जाने का हवाला है। आवंटन होता तो अप्रार्थीगण पट्टा पेश कर देते।प्रार्थीगण ने आवंटन आदेश दिनांक 23.9.78 की नकल लेने की कोशिश की परन्तु कोई आदेश नहीं मिला इसलिये नामान्तरकरण के आधार पर आवंटन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) पेश किया गया है। गलत आवंटन के विरूद्ध 14(4) आवंटन नियम के तहत कार्यवाही करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है एवं कोई भी व्यक्ति प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है, इसलिये ग्रामवासियों की ओर से प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम पेश किया गया है। प्रश्नगत आवंटित भूमि खसरा नम्बर 7 पर आज भी ग्रामवासियों के पशु चरते हैं एवं बरसात में इसमें होकर पानी का नाला बहता है उस पर अप्रार्थी सं0 1 लगा0 5 का कोई कब्जा नहीं है। आवंटित भूमि की किस्म गै0मु0नाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त किस्म को बदलने का तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं था। फिर भी गै0मु0नला की भूमि को सिवायचक बताकर

अति0 जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गलत तरीके से आवंटन दिनांक 23.9.78 को कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 के पिता मंगला पुत्र जयकिशन जाति रैगर निवासी तलावगॉव तहसील लालसोट के हक में तहसीलदार लालसोट द्वारा खसरा नम्बर 7 जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 98/7 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम पट्टीचिमनपुरा तहसील लालसोट है, का दिनांक 23.9.78 को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये –

1. आर.आर.डी.1994 पेज 666
2. आर.आर.डी 1996 पेज 423
3. आर.आर.डी 1990 पेज 316
4. आर.आर.डी 1988 पेज 130
5. आर.आर.डी 1987 पेज 324
6. आर.आर.डी 1995 पेज 624
7. आर.आर.डी 1989 पेज 203
8. आर.आर.डी 1996 पेज 616
9. आर.आर.डी 1982 पेज 76

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 लगा0 5 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) द्वारा जिस आवंटन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया गया है उस आवंटन आदेश दिनांक 23.9.1978 का प्रमाण हेतु आवंटन आदेश की प्रति पेश नहीं की है। जिससे यह साबित होता हो कि तहसीलदार द्वारा उक्त आवंटन किया गया है। दिनांक 23.9.1978 को नामान्तरकरण मात्र हुआ है जबकि नामान्तरकरण तीसरी स्टेज है। आवंटन से सम्बन्धित रिकॉर्ड संधारित करने की जिम्मेदारी तहसीलदार की है। वास्तव में भूमि आवंटन होने पर ही जांच कर तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। 40 वर्षों बाद प्रार्थीगण द्वारा आम जनता बनकर भूमि जन उपयोग की बताकर अपील की गई है। प्रस्तुत खसरा गिरदावरी के अनुसार पहले से काश्त होती रही है। मिसरिप्रजेन्टेशन का मतलब है कि भूमि का आवंटन **x** की बजाय **y** को करवाया गया हो या **x** ने नाम बदलकर **y** के नाम से भूमि आवंटन करवाया हो। विचाराधीन प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 40 वर्षों पूर्व गरीब असहाय व्यक्तियों को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आवंटन हुआ है इनके द्वारा फ्रॉड कैसे किया जा सकता है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में 10 बार जमाबन्दी में इन्द्राजात बदल गये। 40 वर्षों में कभी भी इस पर गौर नहीं किया गया। आम जनता किसे माना जावे, इस बाबत विधि प्रक्रियानुसार आदेश 1 नियम 08 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र पेश होना चाहिये था। जो पेश नहीं किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में नाला प्रतिबंधित भूमियों में शामिल नहीं है। भूमि आवंटन को 30 वर्ष पश्चात निरस्त नहीं किया जा सकता है। नियम 14(3) के इस प्रावधान को भी हटाया जा चुका है कि 2 वर्षों के भी संपूर्ण भूमि को काश्त किया जावेगा। भू–माफिया लोग अप्रार्थीगण को धमकाकर जमीन हड़पना चाहते हैं। खातेदारी अधिकार आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) द्वारा निरस्त नहीं किये जा सकते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये –

1. आर.आर.टी.2014(2) पेज 1150
2. आर.आर.टी.2016(1) पेज 560
3. आर.बी.जे. 2017 पेज 31

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधिवक्तागण उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का भी ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य तथ्य यह है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 के पिता मंगला पुत्र जयकिशन जाति रैगर निवासी तलावगॉव तहसील लालसोट को दिनांक 23.9.78 को ग्राम पट्टीचिमनपुरा तहसील लालसोट स्थित खसरा नम्बर 7 रकबा 75 बीघा 12 बिस्वो में से 5 बीघा भूमि का आवंटन अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत तहसीलदार लालसोट द्वारा कर दिया जाना व्यक्त करते हुए उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भूमि आवंटन नियम 1970 पेश किया गया है। यद्यपि प्रस्तुत दस्तावेजात की छायाप्रतियों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का नामांतरकरण आवंटी के नाम खोला हुआ है। परन्तु प्रश्नगत भूमि का आवंटन किन नियमों के परिपेक्ष्य में किस विधि प्रक्रिया के तहत किस सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है इस तथ्य को अधिवक्तागण उभयपक्षकारान द्वारा साबित नहीं किया जा सका है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय से प्रभावित होना व्यक्त किया गया है इस बाबत संबंधित तहसीलदार जांच कर कार्यवाही हेतु सक्षम है। प्रार्थीगण द्वारा अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपेक्षित आवंटन आदेश बाबत दस्तावेज/सबूत उपलब्ध नहीं कराये जाने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत (14)4 आवंटन नियम 1970 संधारण किये जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत (14)4 आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 11.9.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official